न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 4/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/284**
दायर दिनांक :– 11.01.2023 **निर्णय दिनांक :– 09.10.2025**

1. उगराराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. कमा पुत्री मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. बाबूराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. पानीदेवी पत्नी हड़मानराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हड़मानराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. रामूराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. हरखुदेवी पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री सुभाष विश्नोई अधि. अ.सं. 2 ता 5

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 424/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर सरहद मौजा चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में आंवटित हुई थी आवंटन अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का मौके पर आवंटन एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि की पूर्व में राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं हो रखही थी जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.12.2016 को जारी नक्शा से प्रमाणित है संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थीगण ने अपनी रहवासीय ढाणियां एंव पानी के टांके इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा इसी अनुसार ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे। वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण की खतेदारी की भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न एंव रहवासीय ढाणियों को छोड़ कर अन्यत्र स्थान पर कर दी गई है

09/10/25

जो सरासर गलत है इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त खसरान् की नक्शा लट्ठा में की गई तरमीम को खारिज करवाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार घंटियाली ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में बताया कि ग्राम चिमाणा के खसरा नम्बर 424 व उसके सभी बट्टा नम्बर की तरमीम नक्शा लट्ठा में नहीं हुई है। सेग्रीकेशन योजना के अन्तर्गत तहसील ऑनलाईन करने समय उक्त खसरों की तरमीम की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की और से अधिवक्ता सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 को जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर बताया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया है। विधिनुसार राज्य सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष चाहने पर धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस की प्रति तथा पावती प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं की है। प्रार्थीगण तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र की आड़ में सरकारी भूमि, सरकार कटाण मार्ग की तरमीम निरस्त करवाकर मूल्यवान सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने पर आमदा है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों खसरा नम्बर 424/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 424/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की तरमीम सेग्रीकेशन योजना में होना बताया है। सेग्रीकेशन योजना में तरमीम करने का अदेश जारी करने का सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का होता है। सक्षम न्यायालय के आदेश से की गई तरमीम को उसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दुरूस्त करने के विधि में प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत मनगढत मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 424/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 424/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर आवंटित भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 424 व उसके सभी बट्टा नम्बर की तरमीम नक्शा लट्ठा में नहीं हुई है। सेग्रीकेशन योजना के अन्तर्गत तहसील ऑनलाईन करते समय उक्त खसरों की तरमीम की गई है, तहसीलदार घंटियाली के जवाब, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ऑनलाईन नक्शा में एवं नक्शा लट्ठा में भिन्नता है या नहीं इसका वर्णन मौका रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 424 राजकीय भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा सरकारी कटाण मार्ग भी ऑनलाईन नक्शा में दर्ज है। चूंकि विवादग्रस्त खसरान की

03/10/15

तरमीम को किस प्रकार दुरूस्त किया जाना है पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न लट्ठा नक्शा की प्रति संलग्न नहीं की गई है। स्पष्ट मौका रिपोर्ट एवं नक्शा लट्ठा के आभाव में तरमीम दुरूस्त की जानी संभव नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/10/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)